B.A II Hons
Pol. Sc. नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य तथा वर्गीकरण

नीति निर्देशक तत्वों के तीन उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं

(i) ये सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य और गाँधीवादी सिद्धान्तों पर जोर देते हैं जिन्हें लागू करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जानी है।

(ii) ये सिद्धान्त विधानमण्डल और कार्यपालिकाओं का मार्गदर्शन करते हैं।

(iii) ये सिद्धान्त नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकारों की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें साधनों के अभाव के कारण एकदम लागू करना संभव नहीं है।

नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण —

सिद्धान्तों की व्याख्या राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51 तक की गयी है संविधान में तो इनका किसी निश्चित विधि से वर्गीकरण नहीं किया गया, किन्तु इनका वर्गीकरण आर्थिक,

Scanned with CamScanner

सामाजिक, कानूनी तथा न्याय, शिक्षा, लोकतंत्र, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुएं के संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के आधार पर किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

(I) आर्थिक नीति सम्बंधी निर्देशक तत्व — आर्थिक सिद्धान्त, संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 45, 46, तथा 47 में दिये हुए है इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है संविधान में इनका उल्लेख निम्न प्रकार है—

(i) समस्त नागरिकों को समान रूप से विकास करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(ii) आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि धन और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण न हो।

(iii) पुरुष तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाय।

(iv) शैशव व किशोर अवस्था का शोषण व नैतिक और आर्थिक परित्याग न हो।

Scanned with CamScanner

(v) राज्य अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को काम, शिक्षा प्रदान करने तथा बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा।

(vi) राज्य कृषी तथा उद्योगों में कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी, अच्छा जीवन स्तर तथा अवकाश उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा।

(vii) राज्य व्यक्तियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा।

2 समाजिक नीति सम्बंधी निर्देशक तत्व नागरिकों की समाजिक क्षेत्र की हित साधना करने का उद्देश्य से ही समाजिक नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में स्थान दिया गया है

(i) राज्य भोजन, जीवन तथा स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करेगा। हानिकारक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगायेगा, चिकित्सा का प्रबन्ध करेगा। मनोरंजन के साधनों का प्रबंध करेगा।

Scanned with CamScanner

(ii) राज्य हरिजन वर्ग तथा पिछड़ी हुई जातियों के शिक्षा सम्बंधी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा तथा उनके विकास के लिए समुचित व्यवस्था करेगा राज्य का यह भी कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि समाज के उच्च स्तर वाले वर्ग इनके साथ उचित तथा सम्मानजनक व्यवहार करते हैं या नहीं।

(iii) राज्य अपनी क्षमता के अनुसार बुढ़ापे, बिमारी तथा अंगहानि की व्यवस्था में सहायता करेगा।

Dr. Khubbo